

EXTRAORDINARY 5

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	623]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 10, 2010/कार्तिक 19 1932
No.	623]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 10, 2010/KARTIKA 19, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 903(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और आगे संशोधन करने के लिए एतदुद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (पांचवां संशोधन) नियम, 2010 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में नियम 19 के उप-नियम (4) में दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक को अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---
 - "परन्तु यह भी कि अनुमोदन बोर्ड उद्यमी से लिखित में अनुरोध प्राप्त होने पर और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, एक बार में एक वर्ष से अनिधक और अविध के लिए आगे विस्तार प्रदान कर सकता है।"

[फा. सं. सी. 3/9/2009-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

टिप्पण: —मूल नियम तारीख 10 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 54(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्न अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन किया गया :---

क्र.सं.	सा.का.नि.	तारीख	
(1)	(2)	(3)	
1.	सा.का.नि. ४७०(अ)	10 अगस्त, 2006	5 1
2.	सा.का.नि. ३९३(अ)	16 मार्च, 2007	
3.	सा.का.नि. 1744(अ)	12 अक्तूबर, 2007	
4.	सा.का.नि. 2661(अ)	14 नवम्बर, 2008	

4376 GI/2010

	(1)	(2)	(3)	
ю,	5.	सा.का.नि. 72(अ)	3 फरवरी 2009	
	6.	सा.का.नि. 1293(अ)	20 मई, 2009	
	7.	सा.का.नि. 562(अ)	3 अगस्त, 2009	
	8.	सा.का.नि. 501(अ)	14 जून, 2010	
	9.	सा.का.नि. 597(अ)	12 जुलाई, 2010	
	10.	सा.का.नि. 732(अ)	7 सितम्बर, 2010	
	11.	सा.का.नि. 784(अ)	28 सितम्बर, 2010	

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2010

- G.S.R. 903 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Special Economic Zone Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—
 - 1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Fifth Amendment) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in rule 19 in sub-rule (4) after the second proviso the followig proviso, shall be inserted, namely:—
 - "Provided also that the Board of approval may, upon a request in wirting by the entrepreneur, and after being satisfied that it is necessary and expedient so to do grant further extension for a fourther period not exceeding one year, at a time."

[F. No. C. 3/9/2009-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* No. G.S.R. 54 (E), dated the 10th February, 2006 and subsequently amended as *vide* notification numbers:—

Sl. No.	G.S.R.	Dated	
1.	470 (E)	10th August, 2006	
2.	393 (E)	16th March, 2007	
3.	1744 (E)	12th October, 2007	
4.	2661(E)	14th November, 2008	
5.	72 (E)	3rd February, 2009	
6.	1293(E)	20th May, 2009	
7.	562 (E)	3rd August, 2009	
8.	501(E)	14th June, 2010	
9.	597 (E)	12th July, 2010	
10.	732 (E)	7th September, 2010	
11.	784(E)	28th Septepmber, 2010	